



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सैंथल जिला दौसा राजस्थान




रामेश्वर

बनाम

रामेश्वर वगै०

अन्तर्गत धारा: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा

प्र० सं०- 25/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.09.2025	<p>अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एड. उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण के तलबी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.09.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">             उपखण्ड अधिकारी            सैंथल         </p>	
26/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। पत्रावली में पेश हुआ तलबाने रजि० एडी० पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/10/25 को पेश हो।</p>	
27/10/25	<p>आज PO साहब अन्य काम में/पीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आ०ता० पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 27/10/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
24/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। प्रार्थी मय अधिवक्ता गत पेशी को भी अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को न्यायालय में बार-बार रुक-रुककर आवाज दिलवाई गई परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश ७ नियम 8 के अन्तर्गत अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: right;">             उपखण्ड अधिकारी            सैंथल         </p>	